जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-25.03.2025**

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जैनपुर में जानलेवा हमला, गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो दिनाँक 23.03.2025 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जैनपुर में दो पक्षों में जानलेवा हमला, मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने की घटना हुई थी। घटना के सम्बन्ध में विक्रम पुत्र सुखबीर निवासी ग्राम जैनपुर थाना झिंझाना की तहरीर के आधार पर 09 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद तथा सुशील कुमार पुत्र परमाल निवासी ग्राम जैनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली की तहरीर के आधार पर 10 व्यक्तियों के विरुद्ध थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये थे। थाना झिंझाना पुलिस द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे।

इसी क्रम में आज दिनाँक 25.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जैनपुर में जानलेवा हमला, मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगी हुयी हैं शीघ्र अभियुक्तगण की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.गौरव पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम जैनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गौरव उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 123/2025 धारा 191(1)/191(3)/190/115(2)/118(1)/352/109(1) बीएनएस थाना झिंझाना जनपद शामली

थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा 25,000/- रुपये का ईनामी गैंगस्टर अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 25.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व मे थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा 25,000/- रुपये के ईनामी गैंगस्टर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.नितिन उर्फ निक्की पुत्र अरुण कुमार निवासी ग्राम आदमपुर थाना बाबरी जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

1.मु0अ0सं0 117/2024 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 129/2024 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 05/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली

<u>थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बलवा में जानलेवा हमला करने की घटना में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त फावड़ा बरामदः-</u>

ज्ञात हो दिनाँक 24.03.2025 को वादी अब्बास पुत्र रशीद निवासी ग्राम बलवा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के पिता रशीद पर अभियुक्त द्वारा फावड़े से जानलेवा हमला कर दिया था व जान से मारने की धमकी देते हुये मौके से भाग गया था। घटना के सम्बन्धी में अब्बास उपरोक्त की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे।

इसी क्रम में आज दिनाँक 25.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बलवा जानलेवा हमला कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त फावड़ा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

1.इन्सार पुत्र इरशाद निवासी ग्राम बलवा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.घटना में प्रयुक्त फावड़ा।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 10 लीटर कच्ची शराब बरामदः-

दिनांक 24.03.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 10 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.शीशपाल पुत्र हरीसिंह निवासी ग्राम सूबरी थाना झिझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 10 लीटर कच्ची शराब।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते दहेज हत्या के मामले में 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय मुजफ्फरनगर द्वारा सुनाई गई 08 वर्ष के कारावास की सजा एवं 11,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।</u>

वर्ष 2015 में अभियुक्त राहुल पुत्र देवानन्द निवासी मौहल्ला हरिराम नगर ब्लॉक रोड़ थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 294/2015 धारा 304बी/498ए भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम थाना कोतवाली शामली पर पंजीकृत किया गया था। इस मामले में कोतवाली शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम में आज दिनांक 25.03.2025 को माननीय न्यायालय FTC-1 मुजफ्फरनगर द्वारा दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए धारा 304बी भादवि में 08 वर्ष का कठोर कारावास व धारा 498ए भादवि में 02 वर्ष कारावास तथा 10,000/- रुपये अर्थदण्ड व धारा 3/4 दहेज अधिनियम में 06 माह कारावास व 1,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

1.राहुल पुत्र देवानन्द निवासी मौहल्ला हरिराम नगर ब्लॉक रोड़ थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 06 अलग-अलग मामलों में 07 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 23,200/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-</u>

1.-वर्ष 2006 में अभियुक्त अख्तर पुत्र यासीन निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 04/2006 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 25.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कोर्ट कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 5,000/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.-वर्ष 2014 में अभियुक्त अनुज पुत्र प्रेमचन्द निवासी ग्राम दथेड़ा थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 324/2014 धारा 427 भादवि व 4/10 वन संरक्षण अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 25.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कोर्ट कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 1,000/- रुपये अर्थदण्ड दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3.-वर्ष 2009 में अभियुक्त नीरज पुत्र सतपाल निवासी ग्राम गोयला थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 256/2009 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 25.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कोर्ट कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा व 5,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

4. वर्ष 2010 में अभियुक्तगण 1.बलवान पुत्र ताराचन्द 2.सन्नी पुत्र रामपाल शर्मा निवासीगण देशराज कालोनी थाना सदर बाजार जनपद पानीपत के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 902/2010 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 25.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कोर्ट कैराना शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 3,000-3,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07-07 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

5.-वर्ष 1996 में अभियुक्त जयप्रकाश पुत्र जल सिंह निवासी ग्राम जमालपुर थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 232/1996 धारा 382 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 25.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कोर्ट कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1,200/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

6.-वर्ष 1997 में अभियुक्त कय्यूम पुत्र शमशाद निवासी ग्राम भैंसानी थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 61/1997 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 25.03.2025 को माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी कोर्ट कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 02 वर्ष के कारावास की सजा व 5,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

जनपद में सुरक्षा व्यवस्था सदृढ करने, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत 04 अपराधियों को किया गया जिलाबदरः-

जनपद में सुरक्षा व्यवस्था सदृढ करने, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 की धारा 3/4 के अन्तर्गत 1. इमरान पुत्र रज्जाक निवासी ग्राम सोन्टा रसूलपुर थाना थानाभवन जनपद शामली 2. राहुल उर्फ रोहित पुत्र बाबू उर्फ बाबूराम निवासी ग्राम चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली 3. अदनान पुत्र अफजाल निवासी ग्राम भैंसानी इस्लामपुर थाना थानाभवन जनपद शामली को अपर जिलाधिकारी न्यायिक के आदेश द्वारा 06 माह की अवधि के लिये एवं विवेक प्रेमी पुत्र मनोज प्रेमी निवासी मौहल्ला रामशाला थाना कोतवाली शामली जनपद शामली को 01 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के आदेश द्वारा 01 माह की अवधि के लिये जिलाबदर किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI